रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022021-224931
CG-DL-E-04022021-224931

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2021/माघ 15, 1942
No. 475] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2021/MAGHA 15, 1942

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2021

का.आ. 525(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3338(अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2017 द्वारा में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) पैरा 2क के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2ख. पैरा 2 और पैरा 2क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य 15 अक्तूबर, 2021 तक की अवधि के लिए या नए प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के गठन होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक पदधारण करेंगे।";

(ii) पैरा 6क के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6ख. पैरा 6ख और पैरा 6क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य 15 अक्तूबर, 2021 तक की अवधि या नई राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उत्तर प्रदेश के गठन होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक पदधारण करेंगे।"।

[फा. सं. जे-11013/43/2007-आईए.II (I) भाग]

सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), में का.आ. 3288(अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना सं.का.आ. 4087 (अ) तारीख 13 नवंबर, 2020 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2021

S.O. 525(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3338(E), dated the 16th October, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) After paragraph 2A, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"2B. Notwithstanding anything contained in paragraph 2 and paragraph 2A, the Chairman and Members of the Authority, Uttar Pradesh shall hold office for a term up to the 15th October, 2021 or till the constitution of new Authority, Uttar Pradesh, whichever is earlier.";

(ii) After paragraph 6A, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"6B. Notwithstanding anything contained in paragraph 6 and paragraph 6A, the Chairman and Members of SEAC, Uttar Pradesh shall hold office for a term up to the 15th October, 2021 or till the constitution of new SEAC, Uttar Pradesh, whichever is earlier.".

.

[F. No. J-11013/43/2007-IA.II(I) Pt.]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3338 (E), dated the 16th October, 2017 and was subsequently amended vide notification number S.O. 4087(E), dated the 13th November, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.04 19:22:27 +05'30'